



26

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक / 167 / निविदा बाढ़ / राहत / 2017

सिंगरौली दिनांक 17.03.2017

अल्प अवधि निविदा आमंत्रण सूचना (बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण क्रय करने हेतु निविदा)


वित्तीय वर्ष 2016-17 बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण क्रय हेतु दिनांक 28.03.2017 को दिन 3.00 बजे तक निविदाएं सील बंद लिफाफे में आमंत्रित हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 200/- (दो सौ रुपये) मात्र नगद जमा कर कार्यालय अथवा बेवसाइड www.singrauli.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर की राशि रु 5000/- (रु. पाँच हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन कार्य दिवस में जिला राहत शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक 28.03.2017 को सायं 4.00 बजे खोली जावेगी।

सामग्री विवरण

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या	राशि अंकों में	राशि शब्दों में
1	लाईफवॉय (रिंग)	30 नग		
2	नाइलोन रस्सा (1 इंच मोटा) 100 फिट	03 नग		

- शर्तें:-
- 1- सामग्री कार्यालय आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
 - 2- निविदा संबंधी समस्त निर्णय कलेक्टर सिंगरौली के अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे।
 - 3- निविदाकर्ता को 1 से लेकर 11 तक की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - 4- निविदाकर्ता को आदेश पारित 07 दिवस के अंदर सामग्री आपूर्ति कर देयक 02 प्रतियों में जमा करना होगा।
 - 5- निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति करने पर आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
 - 6- उक्त दर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू होगी।
 - 7- निविदाकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
 - 8- निविदाकार को अपना TIN नं. देना अनिवार्य होगा।
 - 9- निविदाकार कामर्शियल टैक्स दाता होना अनिवार्य होगा।
 - 10- निविदाकार ब्लैक लिस्टिड नहीं होना चाहिए।
 - 11- निविदाकार आयकर दाता है या नहीं। यदि नहीं है तो पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


संयुक्त कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
सिंगरौली दिनांक 17.03.2017

पू.क्रमांक / 168 / निविदा बाढ़ / राहत / 2017

प्रतिलिपि:-

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला-सिंगरौली की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. जिला-सिंगरौली की ओर बेवसाइड में प्रकाशन हेतु।
3. कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


संयुक्त कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र

(बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण कय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए)

1. फर्म / दुकानदार का नाम.....
2. पता:-.....
3. रजिस्ट्रेशन नम्बर-
4. पैन नम्बर-..... 5. टिन नम्बर-.....
6. मोबाईल नम्बर 7. ई मेल पता-.....
8. अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक

सामग्री का विवरण

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या	राशि अंकों में	राशि शब्दों में
01	लाईफ बॉय (रिंग)	28 नग		
02	नाइलोन रस्सा (1इंच मोटा) 100फिट	03 नग		

- शर्तें:-
- 1-सामग्री कार्यालय आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
 - 2-निविदा संबंधी समस्त निर्णय कलेक्टर सिंगरौली के अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे।
 - 3-निविदा कर्ता को बिन्दु क्र0 1 से 8 तक की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - 4-निविदा कर्ता को आदेश पारित के 07 दिवस के अंदर सामग्री आपूर्ति कर देयक 02 प्रतियां में जमा करना होगा।
 - 5-निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति न करने पर आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं जमा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
 - 6-उक्त दर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू होगी।
 - 7-निविदाकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
 - 8-निविदाकार को अपना TIN नं. देना अनिवार्य होगा।
 - 9-निविदाकार कामिर्शियल टैक्स दाता होना अनिवार्य होगा।
 - 10-निविदाकार ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
 - 11-निविदाकार आयकर दाता है या नहीं। यदि है तो पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर